यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** के माह 03/2016 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 19.06.2018 से 29.06.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 03.03.2016 से 15.03.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2014 से 02/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 03/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद टिहरी गढवाल के तीन विकास विकास खण्डों क्रमशः प्रतापनगर, जाखणीधार एवं भिलंगना हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	529.76	–	3418.83	3062.52	221.91	214.77	–	886.07	–	7.14
2016–17	367.76	–	3035.44	2865.91	266.33	219.06	–	537.29	–	47.27
2017–18	344.23	–	2796.17	2274.28	217.17	215.38	–	866.12	–	1.79

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	3058.46	2755.56	–	302.90
2016–17		–	2774.61	2582.83	–	191.78
2017–18		–	2344.49	1936.46	–	408.03

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन अथोराईजेशन के रुप में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "अ" श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास

⇩

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

⇩

मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0

⇩

मुख्य अभियंता (गढवाल)

⇩

अधीक्षण अभियंता, मसूरी वृत्त

⇩

अधिशासी अभियंता

⇩

सहायक अभियंता (05)

⇩

कनिष्ठ अभियंता (10)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0 जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्यों (पूर्ण–10 एवं प्रगतिरत–02) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 03/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में मार्च 2017 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्ववार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।

5. फार्म 51 माह 03/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।

6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 03/2018 के अन्त में : शून्य

7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1: निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 514.07 लाख का अधिक भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी के चयनित मोटर मार्गों के लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि आठ मोटर मार्गों[1] के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0), प्राविधिक स्वीकृति के विस्तृत आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल "ब" में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री {तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii)} का प्रावधान किया गया था, परन्तु दरों हेतु जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री के स्थान पर उच्च ग्रेड वाली मद (GSB by providing well graded material) की दरें ली गई थी तथा मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने के बावजूद जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड की दरों से भुगतान किया गया। यदि मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त की गई तो विकास खण्डवार तत्कालीन दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर से ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त आगे जॉच में पाया गया कि संराशगॉव से खोला मोटर मार्ग के स्वीकृत डी0पी0आर0 एवं प्राविधिक स्वीकृति में मार्ग की आधार सतह हेतु जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड (GSB by providing well graded material) का प्रावधान किया गया था परन्तु निविदा हेतु निर्मित शिड्यूल "ब" में इस सामग्री के स्थान पर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular Sub-base sourse with local material) का प्रावधान कर दरें आमंत्रित एवं स्वीकार की गई। निविदा में मार्ग की आधार सतह का प्रावधान मोर्ड (MORD) आई0आर0सी0 के क्लॉज 401.40 एवं तकनीकी विशिष्टियों के क्लॉज 408 क्रम संख्या 4.11 (1) (ii) के आधार पर जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular Sub-base sourse with local material) के साथ किया गया था, परन्तु जिस दर (रु0 1265.10 प्रति क्यूमी0) को इस सामग्री हेतु लिया गया वह विकास खण्ड भिलंगना की दर–अनुसूची (17.05.2013) के अनुसार उच्च दर की थी। जबकि इसी दर–अनुसूची (17.05. 2013)में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर रु0 480.00 प्रति क्यूमी0 थी।

इस प्रकार, उपरोक्त 09 मोटर मार्गों में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री प्रयुक्त किए जाने एवं इस मद हेतु लागू दर–अनुसूची के विपरीत उच्चतर दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 514.07 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

[1] सीताकोट से बनाली, घुत्तू से गवाणा तल्ला, मुंगराली से झिनवाली, छतियारा से कैपर्स, माजफ से सुकरी, घनसाली किमी0 33 से बुरन्ट, माजफ से खेत एवं टिपरीचाह से गडोलिया।

कार्य का नाम	डी0पी0आर0 / प्राविधिक / निविदा में जी0एस0बी0 की दर	अनुबन्धित / अन्तिम देयक की दर	दर–अनुसूची के अनुसार जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर	देयक के अनुसार आधिक्य (3-4)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सीताकोट से बनोली	1265.10	1265.00	480.00	785.00	11390.58	8941605.30
घुत्तू से गवाणा तल्ला	1265.10	1265.10	480.00	785.10	5595.96	4393388.20
मुंगराली से झिनवाली	1550.70	1550.00	499.10	1050.90	1902.09	1998906.38
छतियारा से कैपर्स	1542.30	1542.00	492.70	1049.30	9008.69	9452818.42
माजफ से सुकरी	1265.40	1265.40	480.30	785.10	3850.84	3023294.48
घनसाली किमी0 33 से बुरन्ट	1264.80	1450.00 (14.65% above)	दर–अनुसूची – 479.70 14.65% above = 549.98	900.02	9338.08	8404458.76
संराशगॉव से खोला	1265.10	1201.00 (5% below)	दर–अनुसूची – 480.00 5% below = 456.00	745.00	6925.61	5159579.45
माजफ से खेत	1265.40	1076.00 (15% below)	दर–अनुसूची – 480.30 15% below = 408.25	667.75	4620.54	3085365.59
टिपरीचाह से गडोलिया	1021.10	988.00 (3.25% below)	दर–अनुसूची – 330.60 3.25% below = 319.86	668.14	10398.91	6947927.73
योग :–						51407344.31

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व निविदा होने के कारण यह विसंगति हुई परन्तु प्रखण्ड द्वारा निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर ठेकेदारों को भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया उसी मद की दर–अनुसूची की दर से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

अतः निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणास्वरुप ठेकेदारों को रु0 514.07 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 13.79 लाख का निरर्थक व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की निर्देशिका {प्रस्तर 8.5 (vi)} के अनुसार पहाडी राज्यों में निर्माण कार्य के आकलन दो भागों में तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य तथा द्वितीय चरण में पेंवमेंन्ट के कार्य जैसे ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमिन की सतह बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि तीन मोटर मार्गों के आगणनों एवं अनुबन्धों में स्टेज–। के कार्यों के साथ जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री का प्रावधान कर सम्पादित किया गया, जबकि निर्देशिका के अनुसार ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह का कार्य द्वितीय चरण के कार्यों में बिटुमिन के साथ किया जाना चाहिए था। सम्पादित जी0एस0बी0 का विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अन्तिम देयक के अनुसार स्थानीय जी0एस0बी0		अधिक भुगतान
	सम्पादित मात्रा (cum)	दर	
पिलखी से द्वारी	2100.05	480.00	1008024.00
खम्बाखाल से बिल्डोगी	500.11	350.00	175038.50
बिनकखाल से कुण्डी	540.00	363.00	196020.00
योगः–			**1379082.50**

इस प्रकार, निर्देशिका के विपरीत स्टेज–। में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री सम्पादित कर रु0 13.79 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मोटर मार्ग के कुछ भाग में दलदलीय क्षेत्र होने तथा उस हिस्से में वाहनों के सुचारु रुप से आवागमन हेतु जी0एस0बी0 प्रयुक्त की गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फारमेशन कटिंग के पश्चात् ही इन समस्त कार्यों हेतु स्टेज–।। का प्रावधान है जिसमें डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटूमिन की सतह बिछाने का कार्य किया जाता है ताकि मार्ग निर्माण से योजना के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो सके तथा जब तक दूसरा चरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक सम्बन्धित बसावटों को संपर्कयुक्त बसावटें नहीं माना जाएगा।

अतः निर्देशिका के विपरीत कार्य सम्पादित किए जाने पर रु0 13.79 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 अपूर्ण मोटर मार्ग पर रु0 662.58 लाख का अलाभकारी व्यय।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टिपरी से चाह गडोलिया एवं सुनखेत से मोल्गा–कोटालगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु फेस–X एवं XII में रु0 1074.55 लाख[2] की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (08.02.2013 एवं 04.02.2014)। मुख्य अभियंता (स्तर–2), पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (18.05.2013 एवं 27.05.2014)। मोटर मार्गों के निर्माण हेतु रु0 981.37 लाख[3] का अनुबन्ध संख्या 20–21/एस0ई0– पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनॉक 01.06.2013 एवं दिनॉक 28.08.2014 गठित किए गये।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी के सम्बन्धित मोटर मार्गों के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि टिपरी से चाह गडोलिया मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 14.97 किमी0 के सापेक्ष मात्र 9.60 किमी0 लम्बाई में पी0सी0 का कार्य किया गया तथा उसके पश्चात् मोटर मार्ग का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। निर्माण कार्य बन्द किए जाने का प्रमुख कारण 16 जून 2013 एवं 27 अगस्त 2013 में दैवीय आपदा से आये भारी मलबे से ग्रामीणों के पॉच मकानों में मोटर मार्ग का मलबा भरना था तथा ग्रामीणों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में उसके पश्चात् मुआवजा न मिलने तक विवाद उत्पन्न किया जाना था। विवाद के समय पर निपटान न होने के कारण ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित दरों पर आगे के कार्य किए जाने हेतु असहमति प्रकट की गई जिसके कारण 28.06.2017 में अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग में विवाद का निपटान लम्बित था तथा मोटर मार्ग में रु0 389.91 लाख व्यय किए जाने के बावजूद न केवल लक्षित बसावटों को मोटर मार्ग के लाभ से बंचित होना पडा अपितु 9.60 किमी0 तक बिछाई गयी पी0सी0 का कार्य भी आवागमन एवं पानी बहने से खराब हो रहा है। आगे जॉच में पाया गया कि सुनखेत से मोल्गा–कोटालगॉव मोटर मार्ग में स्टेज–। के अन्तर्गत स्वीकृत लम्बाई 5.10 किमी0 के सापेक्ष 4.75 किमी0 तक की लम्बाई में मार्ग निर्माण किया गया था तथा अवशेष 350 मी0 के हिस्से में भूमि विवाद के कारण निर्माण नहीं किया गया। स्टेज'–। का निर्माण कार्य लक्षित बसावट तक न किए जाने के बावजूद प्रखण्ड द्वारा स्टेज–।। के अन्तर्गत पुनः लम्बाई 5.10 किमी0 निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्टेज–।। का कार्य भी लम्बाई 4.50 किमी0 तक पूर्ण कर बन्द कर दिया गया। परिणामस्वरुप न केवल लक्षित बसावट मोटर मार्ग निर्माण से लाभान्वित हो पाए अपितु अपूर्ण मोटर मार्ग पर हुए रु0 272.67 लाख का व्यय भी अलाभकारी रहा। इसप्रकार, दोनों मोटर मार्ग पर भुगतानित रु0 662.58 लाख का व्यय अपूर्ण होने के कारण अलाभकारी सिद्ध हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि दोनों मोटर मार्गो में ग्रामीणों के विवाद/मुआवजे के निपटारे न होने के कारण अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया। टिपरी से चाह गडोलिया मोटर मार्ग के अवशेष कार्य हेतु निविदा में आधिक्य होने से प्रकरण शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। सुनखेत से मोल्गा–कोटालगॉव के सम्बन्ध में बताया कि अवशेष कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई गतिमान है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि ग्रामीणों के विवाद का निपटान समय पर किया जाता तो सडक विहीन बसावटों को सडक सुविधा का लाभ समय पर मिल जाता।

अतः अपूर्ण मोटर मार्ग पर रु0 662.58 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

---

[2] टिपरी से चाह गडोलिया : रु0 743.89 (निर्माण : रु0 679.03 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 64.86 लाख) एवं सुनखेत से मोल्गा–कोटालगॉव : रु0 330.66 (निर्माण : रु0 297.84 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 32.84 लाख)

[3] टिपरी से चाह गडोलिया : रु0 651.34 (निर्माण : रु0 603.86 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 47.48 लाख) एवं सुनखेत से मोल्गा–कोटालगॉव : रु0 330.03 (निर्माण : रु0 297.58 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 32.45 लाख)

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्गों पर रु0 8.40 लाख का परिहार्य व्यय।

पी0एम0जी0एस0वाई0 दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 11.1 के अनुसार परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति और उनकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद निष्पादन एजेंसी निविदाएं आमंत्रित करेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी के लेखा–अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि छतियारा से कैपर्स मोटर मार्ग में निविदा तकनीकी स्वीकृति (27.02.2015) से पूर्व ही आमंत्रित एवं खोली गई थी (20.09.2014)। यहॉ तक कि मोटर मार्ग में प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही निविदा को स्वीकार (27.01.2015) कर ठेकेदार के साथ अनुबन्ध भी गठित (26.02.2015) कर लिया गया था। मोटर मार्ग में पैराफिट निर्माण हेतु प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही डी0पी0आर0 की दर (रु02064.61) पर निविदा की गई जिसके अनुरुप निविदा दाता द्वारा निविदा दर (रु0 2064.00) दी गई। यदि इस मद हेतु निविदा, प्राविधिक स्वीकृति में स्वीकृति दर (रु0 1643.68) पर की गई होती तो रु0 3.40 लाख के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था। आगे, जॉच में पाया गया कि संराशगॉव से खोला मोटर मार्ग में निविदा तकनीकी स्वीकृति (28.05.2014) से पूर्व ही आमंत्रित एवं खोली गई थी (10.01.2014)। प्रखण्ड द्वारा डी0पी0आर0 में सील कोट "ए" ग्रेड बिछाने का प्रावधान किया गया था, जिसकी दर–अनुसूची के अनुसार दर रु0 76.00 थी। इस मद हेतु प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही डी0पी0आर0 की दर (रु0 76.00) पर निविदा की गई जिसके अनुरुप निविदादाता द्वारा निविदा दर (रु0 75.00) दी गई। परन्तु प्राविधिक स्वीकृति में सील कोट "ए" ग्रेड के स्थान पर "बी" ग्रेड बिछाने का स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी दर–अनुसूची के अनुसार दर (रु0 58.20) थी तथा ठेकेदार द्वारा भी अन्तिम देयक के अनुसार मोटर मार्ग में सील कोट "बी" ग्रेड ही बिछाई गयी। यदि इसी सील कोट "बी" ग्रेड की मद हेतु निविदा की गई होती तो रु0 5.00 लाख के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था। इसप्रकार, मोटर मार्गों में हुए रु0 8.40 लाख के परिहार्य व्यय का विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि रुपये में)

क्र0	मद का नाम	डी0पी0आर0 की दर	निविदा की दर	प्राविधिक स्वीकृति की दर	दर में अन्तर	सम्पादित मात्रा	अधिक भुगतान
1. छतियारा से कैपर्स मोटर मार्ग (फेज–XII) NIT: 20.09.2014 & TS : 27.02.2015							
1.	Construction of Parapet	2064.61	2064.00	1643.68	420.32	808.00	339618.56
2. संराशगॉव से खोला मोटर मार्ग (फेज–XII) NIT: 10.01.2014 & TS : 28.05.2014							
1.	Seal Coat	76.00	75.00	58.20	16.20	30891.09	500435.60
	Total :-						**840054.16**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2014 के आम चुनाव के कारण मंत्रालय की सैद्वान्तिक स्वीकृति पश्चात् तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रित की गई ताकि कार्य निर्धारित समायावधि में पूर्ण हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया तथा तकनीकी स्वीकृति में अनुमोदित थी तो उसी दर से ही भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्गों पर रु0 8.40 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
86/2011–12	1 एवं 2	1
01/2014–15	1 एवं 2	1, 2 एवं 3
214/2015–16	1 एवं 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
86/2011–12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	वनभूमि से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण पुनः प्रस्ताव वन विभाग को प्रेषित किया गया है।	लम्बित प्रस्तर को निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1/2014–15 में अद्यतन किया गया है। अतः इस प्रस्तर को निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	न्यायालय का निर्णय आने पर ही देयक का समायोजन/वसूली की जाएगी।	प्रकरण न्यायालय में होने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
01/2014–15	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	वन भूमि हस्तानान्तरण का प्रस्ताव वन विभाग को दिनॉक 23.12.2016 को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।	स्वीकृति अभी भी लम्बित रहने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	1. जी0एस0बी. हेतु दरें क्वैरी की है व अन्य कोई भी लागत स्थल तक लाने की उसमें जोडी नहीं गई है। 2. जिन प्रकरणों में दरें उच्च प्राप्त हुई है उनको तत्समय नये एस0ओ0आर0 पर गठित कर औचित्य सहित यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत किया गया है।	पूर्ण साक्ष्यों के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	1. कार्य विशिष्टियों के अनुरुप ही किया गया है। 2. भूस्खलन के कारण पुनः भू–गर्भीय जॉच की गई तथा भू–गर्भवेत्ता की रिपोर्ट के आधार पर कार्य किए गये। 3. मार्ग के वासआउट वाले भाग में अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति के उपरान्त अतिरिक्त मद का कार्य किया गया।	प्रखण्ड के प्रतिउत्तर, साक्ष्यों एवं वार्ता के क्रम में प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	कई प्रकरणों में मुआवजा विवाद होने, ग्रामीणों द्वारा अनावश्यक विवाद व अत्यधिक वर्षा होने से समय पर कार्य नहीं किए गये, जिस हेतु समयवृद्वि की स्वीकृति दी गई।	समुचित साक्ष्यों के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	कार्यालय व्यय के अन्तर्गत माह 12/2013 में रु0 42,429.00, माह 01/2014 में रु0 37,550.00 एवं माह 02/2014 में रु0 36,791.00 कुल रु0 1,16,770.00 का कार्य कोटेशन प्राप्त कर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 9 के अन्तर्गत किया गया।	प्रखण्ड के प्रतिउत्तर एवं साक्ष्यों के पश्चात् प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
214/2015–16	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।	पूर्ण वसूली न होने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	ठेकेदार के अन्तिम देयक से वसूली ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि एवं चालू देयकों से काटी गई धनराशि से कर ली गई है तथा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	प्रखण्ड द्वारा एल0डी0 एवं अर्थदण्ड की कटौती अन्तिम देयक से कर ली गई है तथा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। अतः प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	मोटर मार्ग में विलम्ब दैवीय आपदा एवं ग्रामीणों द्वारा व्यवधान के कारण हुआ जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदा नहीं था। इस कारण एल0डी0 की कटौती नहीं की गई।	प्रखण्ड के प्रतिउत्तर एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री राजेश कुमार सिंह	अधिशासी अभियंता	21.07.2011 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.